न्यायालय लेण्डरिकोर्ड एवं उपखण्ड अधिकारी, रेलमगरा जिला राजसमंद

पीठासीन अधिकारी :– बिन्दुबाला राजावत आर.ए.एस.

पत्रावली संख्या 104/2025
किस्म :– प्रार्थना–पत्र
दायर दिनांक : 04.07.2025
निर्णय दिनांक: 28.04.2026

अनवान

1– नारूलाल गाडरी पुत्र हरलाल जाति गाडरी निवासी गाडरियावास कुरज तहसील रेलमगरा जिला राजसमंद

प्रार्थी

बनाम

1– राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रेलमगरा तहसील रेलमगरा जिला राजसमंद

विपक्षी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवेन्यु एक्ट

उपस्थित :– अधिवक्ता जगदीशचन्द्र कुमावत

निर्णय

प्रार्थी ने प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यु एक्ट के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम कुरज पटवार हल्का कुरज तहसील रेलमगरा में खाता संख्या 205, में वर्णित आराजी संख्या 3511, 3512, 3513, 3514, 3515, कुल किता 05 निम्नलिखित कृषि आराजीयात् स्थित है। यह कि पैरा संख्या एक में वर्णित भुमियों में प्रार्थी के संयुक्त खातेदारी व स्वामित्व आधिपत्य की है। पैरा संख्या एक में वर्णित भुमियो में प्रार्थी का 1/12 हिस्सा है। प्रार्थी ही उक्त भुमियो पर सह खातेदार के रूप में काबिज होकर उपयोग उपभोग एवं काश्त करता आ रहा है। प्रमाण में जमाबदी की नकल प्रस्तुत है। कि प्रार्थी का नाम नारूलाल गाडरी है प्रार्थी के आधार आर्ड मतदाता पहचान बैंक खाता आदि सभी दस्तावेजो में नाम प्रार्थी का नाम नारूलाल गाडरी पुत्र हरलाल जी ही अंकित है। लेकिन प्रार्थी को घर पर प्यार से नारायणलाल के नाम से भी पुकारते है इस प्रकार प्रार्थी के दो नाम नारूलाल गाडरी व नारायणलाल है और उक्त दौनो नाम का प्रार्थी एक ही व्यक्ति है अलग अलग दो व्यक्ति नही है लेकिन प्रार्थी के नाम से बने समस्त दस्तावेज में प्रार्थी का नाम नारूलाल गाडरी पुत्र हरलाल ही अंकित है नारायणलाल पुत्र हरलाल नाम का कोई दस्तावेज नहीं है उक्त नाम तो सिर्फ प्रार्थी को घर पर प्रेम से पुकारते है। कि प्रार्थी के पिता हरलाल जी के देहान्त के पश्चात उक्त पैरा संख्या एक में वर्णित भुमियो का जो नामान्तरकरण प्रार्थी एवं उसके भाईयो आदि के नाम पर खोला गया उक्त नामान्तरकरण में प्रार्थी का नाम नारूलाल गाडरी की बजाय उसके घर पर बोलने वाला नाम

सहा. कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
रेलमगरा

नारायणलाल लिख दिया जो कि मानवीय सामान्य गलती से उक्त त्रूटि हूई है। इसके बाद से राजस्व रेकार्ड में प्रार्थी का नाम नारायणलाल ही अंकित है जबकि अन्य समस्त दस्तावेज में प्रार्थी नाम नारूलाल गाडरी अंकित हे। कि उक्त भूमियो प्रार्थी के नाम नामान्तरकरण से दर्ज हूई है, और मौके पर प्रार्थी संयुक्त रूप से काबिज होकर उपयोग उपभोग कर रहा है। केवल मात्र प्रार्थी के पिता की मृत्यु के पश्चात भूमि का नामान्तरकरण खोला गया उसमें प्रार्थी का नाम घर पर बोलने वाला नाम नारायणलाल अंकित कर दिया और दस्तावेजो रेकार्ड के अनुसार नारूलाल गाडरी नाम अंकित नही किया गया है। उपरोक्त त्रूटि सहवन से हूई है। प्रार्थी को पुर्व में कभी कुछ समय पूर्व प्रार्थी को सरकारी सहायता प्राप्त करने के लिए उक्त भूमि के राजस्व रेकार्ड की आवश्यकता हूई तब उसे पर बात की जानकारी हूई कि उक्त भूमि के राजस्व रेकार्ड में प्रार्थी का नाम नारूलाल गाडरी की बजाय घर पर बोलने वाला नाम नारायणलाल अंकित है जिसे सुधारा जाना आवश्यक है। कि नारूलाल गाडरी व नारायणलाल उक्त दौनो ही नाम प्रार्थी के ही है लेकिन प्रार्थी के जो दस्तावेज बने हुऐ हैं उसमें प्रार्थी का नाम नारूलाल गाडरी अंकित है व नारायणलाल नाम का कोई दस्तावेज नहीं है जिससे प्रार्थी को काफी परेशानियो का सामना करना पड रहा है। सरकार की और से प्राप्त होने वाली सहायता भी प्रार्थी को उक्त डिफरेन्स की वजह नहीं मिल पा रही है। इसलिए उक्त राजस्व रेकार्ड में सुधार किया जाकर प्रार्थी का नाम नारायणलाल की बजाय नारूलाल गाडरी अंकित किया जाना न्यायहित मे आवश्यक है। कि उक्त इन्द्राज दुरूस्ती नही किये जाने पर प्रार्थी को काफी दिक्कतो का सामना करना पड रहा है। प्रार्थी को भविष्य में होने वाली परेशानियो से बचाया जाना व राजस्व रेकार्ड में दुरूस्तीकरण किया जाकर दस्तावेजो के अनुसार नाम अंकित किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। उक्त त्रुटि की जानकारी प्रार्थी को अभी हाल ही में हूई हैं और जानकारी होते ही प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र आप न्यायालय में समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। कि प्रार्थना पत्र का श्रवणाधिकार एवं क्षैत्राधिकार आप न्यायालय को प्राप्त होकर आप न्यायालय में प्रस्तुत है।

अतः निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावे व प्रार्थना पत्र के पैरा संख्या एक में वर्णित आराजीयात के राजस्व रेकार्ड में प्रार्थी का नाम नारायणलाल पुत्र हरलाल अंकित है के बजाय दुरूस्त किया जाकर रेकार्ड अनुसार नाम नारूलाल पुत्र हरलाल अंकित कराये जाने का आदेश फरमाया जावे व इस हेतु आवश्यक तहरीर अधिनस्थ राजस्व कर्मचारियो अधिकारियो के नाम जारी फरमाई जावे। अन्य दाद जो प्रार्थी के लिए हितकर हो वह भी दिलाई जावें।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर विपक्षी को नोटिस जारी किया गया। विपक्षी द्वारा जवाब/मौका रिपोर्ट प्रस्तुत कि गयी कि ग्राम कुरज की वर्तमान जमाबन्दी के खाता संख्या 205 किता 05 रकबा 2.5576 हेक्टेयर में प्रार्थी का नाम नारायणलाल पिता हरलाल हिस्सा 1/12 गाडरी दर्ज रिकोर्ड है जबकि प्रार्थी के आधार कार्ड बैक खाते व अन्य दस्तावेजो में प्रार्थी का नाम नारूलाल पिता हरलाल गाडरी दर्ज है। यह कि प्रार्थी को उक्त भूमि

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
रेलमगरा

विरासत से प्राप्त हूई वक्त नामान्तरकरण प्रार्थी का बोलता नाम नारायणलाल पिता हरलाल दर्ज कर दिया गया जबकि वास्तविक नाम नारूलाल पिता हरलाल गाडरी दर्ज करवाया। यह कि प्रार्थी ने इसी खाते में अपनी माता का 1/12 हिस्सा जरिये दानपत्र से अपने नाम पर करवाया उसमें भी प्रार्थी का नाम नारूलाल पिता हरलाल गाडरी ही दर्ज करवाया। यह कि भू–अभिलेख निरिक्षक कुरज की जांच रिपोर्ट से जाहिर आया कि प्रार्थी का वास्तविक नाम नारूलाल पिता हरलाल गाडरी है। विरासत का नामान्तरकरण दायर करते वक्त प्रार्थी का बोलता नाम नारायणलाल दर्ज हो गया जबकि वास्तविक नाम नारूलाल पिता हरलाल गाडरी है। प्रार्थी के अन्य दस्तावेजो में भी यही नाम है ।

अतः जांच रिपोर्ट मय रिपोर्ट भू–अभिलेख निरीक्षक मौका पर्चा प्रार्थी के आधार कार्ड व बैक पास बुक की प्रति जमाबन्दी सहित रिपोर्ट श्रीमान की सेवामें प्रेषित है।

दोनों पक्षों की बहस सुनी गई एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया, तो जाहीर आया कि प्रार्थी को उक्त भूमि विरासत से प्राप्त हूई वक्त नामान्तरकरण में प्रार्थी का बोलता नाम नारायणलाल पिता हरलाल दर्ज कर दिया गया। जिसकी शुद्वि प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यु एक्ट के तहत नही की जा सकती है। उक्त सहायता के सम्बंध में प्रार्थी को या तो नामान्तकरण की अपील करनी चाहिये थी। या घोषणा एंव इन्द्राज दुरस्ती का वाद प्रस्तुत किया जाना था। उक्त नामान्तकरण की शुद्वि प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यु एक्ट के तहत नही की जा सकती है।

उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यु एक्ट का अस्वीकार किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम कि जावे।

निर्णय आज दिनांक 28.04.2026 को खुले न्यायालय मे आदेश मे सुनाया गया ।

(बिन्दबाला राजावत)
लेण्ड रिकॉर्ड अधिकारी
(उपखण्ड अधिकारी)
रेलमगरा

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
रेलमगरा